

In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-25/2019

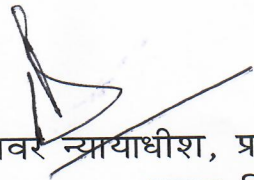
19/2019

04/04/2022

वादी की ओर से हाजरी तथा एक आवेदन पत्र U/O- VI Rule 17 R/W Sec 151 C.P.C. दाखिल किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र U/O- VI Rule 17 R/W Sec 151 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते हैं कि टाइप के गलती से गलत नाम अंकित हो गया है। अतः वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में एक पक्षीय आदेश पारित है तथा वाद वादी के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र साधारण प्रकृति है। इससे वाद में संशोधन से इसके मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/O- VI Rule 17 R/W Sec 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में वाद पत्र में नियमानुसार संशोधन करें। वाद दिनंक ~~11.5.21~~ वास्ते प्रस्तुत करें।


अवर न्यायाधीश, प्रथम
पटना सिटी